सरयू राय

झारखण्ड सरकार

मंत्री
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड सरकार।

पत्रांक - 2185/मंत्री-कोर
दिनांक - 20/11/18.

माननीय मुख्यमंत्री,
झारखण्ड।

विषय :– महाधिवक्ता के न्यायिक आचरण के संबंध में।

पूर्व में दिनांक 28 अक्टूबर 2018 को मैंने महाधिवक्ता को पद की गरिमा के अनुरूप न्यायिक आचरण नहीं किये जाने के कारण उन्हें पदमुक्त करने के लिए आपसे लिखित अनुरोध किया था। 30 अक्टूबर 2018 के समाचार पत्रों में महाधिवक्ता की प्रतिक्रिया इस बारे में आई थी कि उन्होंने जो भी किया है अपने विवेक से राज्य के हित में किया है। इसके बाद 12 नवम्बर 2018 को रॉची से प्रकाशित होने वाले एक प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र को दिये गये साक्षात्कार में उन्होंने इस विषय में मेरे कथन के बारे में जो कहा उसे हू ब हू नीचे अंकित कर रहा हूँ।

"उनके द्वारा उठाए गए विषय के बारे में मुझे यह कहना है कि उन्हें संपूर्ण विषय की जानकारी नहीं दी गई होगी। अधूरे विषय की जानकारी के आधार पर उन्हें ऐसा बताया गया होगा कि मैंने कोई सरकारी अहित कर दिया हो, इसलिए उन्होंने ऐसा विषय उठाया है। मैं सरयू राय जी को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ और उनको कई बार कहा है कि जब भी उन्हें किसी विषय पर पूरी जानकारी व स्पष्टीकरण प्राप्त करना हो तो वे मुझे बुलाकर भी विषय की जानकारी ले सकते है। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा लिए गए निर्णय एवं संबंधित न्यायालयीय आदेश सर्वथा राज्यहितकारी है।"

मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस बारे में मैंने जो भी अनुरोध आपसे किया है वह काफी सोच विचार कर और विषयवस्तु के गहन अध्ययन के उपरान्त किया है। दिनांक 29 अक्टूबर 2018 को आपको प्रेषित पत्र में मैंने जिन बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया है उन पर मैं अडिग हूँ वे पूर्णतः तथ्यपरक हैं। अफसोस है कि विगत तीन वर्षों में मैंने कई बार खान विभाग के सचिव का ध्यान विभाग में चल रही अनियमितताओं की ओर खींचा है,

कार्यालय : झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रॉची। आवास : 1, ए.जी. मोड़ डोरण्डा, रॉची।
दूरभाष : 0651–2401023, फैक्स : 0651–2482455, मो. : 9431114466
ई.मेल : saryuroyoffice@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

परन्तु अनियमितताएँ बरते जाने का सिलसिला जारी है। विभागीय सचिव यदि नियम कानून और तथ्य की अनदेखी करते हैं तो राज्य को इसका भारी नुकसान चुकाना पड़ता है।

यदि महाधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत कोई तर्क विभागीय नियम या तथ्य से मेल नहीं खाता है तो विभागीय सचिव का दायित्व है कि वे उसे ठीक करें और इस बारे में सरकार के सामने वस्तुस्थिति को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करें। परन्तु विगत वर्षों में ऐसा नहीं हुआ है। कतिपय मामलों में राज्य के महाधिवक्ता सरकार और न्यायालय के मंतव्यो को यथास्थान सही सन्दर्भ में प्रस्तुत नहीं करते हैं और विभागीय सचिव भी इस पर चुप रहते हैं तो इससे सरकार के कार्य संस्कृति पर प्रश्नचिन्ह खड़ा होता है।

मेरा अनुरोध है कि इस विषय की न्यायिक जॉच करा दी जाय। इस प्रसंग में तथ्य एवं कानूनी प्रावधानों के अनुरूप झारखण्ड उच्च न्यायालय के किसी कार्यरत माननीय न्यायधीश को जांच का जिम्मा सौंपे जाय ताकि विषयवस्तु के बारे में मेरी समझदारी, महाधिवक्ता के तर्क तथा वर्तमान और पूर्ववर्ती विभागीय सचिवों द्वारा सरकार को दिये गये परामर्श और उनके द्वारा लिये गये निर्णयों की न्यायिक जांच हो कर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाय।

20.11.18

सरयू राय

Scanned with OKEN Scanner